8.4.25 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र प्रार्थीयान ने अन्तर्गत धारा 136 LR Act के तहत पेशकर निवेदन किया कि ग्राम महोली की आराजी खसरा नं. 380, 381, 382, 1132, 1138 मे प्रार्थीयान के पिता किरोडीलाल का नाम किशोर / किशोरी दर्ज रिकार्ड हो गया, जिसे दुरूस्त करवाया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो, शपथ-पत्र का अवलोकन, बहस पर मनन करने के उपरांत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार [illegible] को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम [illegible] की आराजी ख.न. 380, 381, 382, 1132, 1138 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख रजु	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थीयान के पिता का नाम किशोर/ किशोरी के स्थान पर किरोड़ीलाल करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर शामिल रेकार्ड हो। ह० 28/4/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:50 IST
Reason: SelfAttested